अपना सूचना का अधिकार जानें। सरकार से हिसाब मांगें।

- सूचना का अधिकार कानून 2005 में लागू हुआ था।
- इस कानून के अन्तर्गत लोग सरकार के **सभी विभागों** से **सारी जानकारी मॉग सकते** हैं। केवल कुछ जानकारी जैसै कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संम्बधित जानकारी नहीं **मांग सकते** हैं।
- सरकार से रिकार्ड की **फोटोकापी,** रिकार्ड की **जॉच** और कार्यों/सामग्री के **नमूने** मॉग सकते हैं
- सरकार के हर विभाग में आवेदन जमा करने के लिए और जानकारी उपलब्ध कराने के लिए **जन सूचना अधिकारी** बनाए गए हैं।
- **आवेदन की फीस– 10 रु** और जानकारी के **प्रत्येक पृष्ठ के लिए फोटोकापी फीस–2 रु**
- **गरीबी रेखा** से नीचे रहने वालों के लिए **कोई फीस नहीं** (पीले या लाल राशन कार्डधारी)।
- **30 दिन** में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। यदि जानकारी **जीवन या स्वतंत्रता** से संबंधित हो तो जानकारी **48 घंटे** के अन्दर उपलब्ध कराई जाएगी।
- समय से सूचना न देने पर **जन सूचना अधिकारी** पर **250 रु प्रति दिन** का जुर्माना। अधिकतम जुर्माना **25,000 रु**।
- सूचना के लिए आवेदन किसी भी विभाग में जमा कर सकते हैं। कानून के तहत जन सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह आवेदन को सही विभाग तक पहुॅचायें।
- कानून के तहत मांगी गई जानकारी **स्थानीय भाषा** में देनी होती है ।
- कानून के तहत जन सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह आवेदक की **सभी प्रकार से मदद** करे। यदि आवेदक मौखिक रूप से कानून के तहत जानकारी मांगे तो जन सूचना अधिकारी को उसके लिए लिखित में आवेदन बनाना होगा।
- कानून की धारा 4 के तहत सरकार को सार्वजनिक जानकारी लोगों तक वेबसाइट और बोर्ड के माध्यम से पहुचानी होती है।

जानकारी मॉगने की प्रकिया

- जानकारी मॉगने के लिए **लिखित में आवेदन करें और साथ ही फीस जमा** करें। आवेदन सादे कागज़ पर बनाऍ । आवेदन का कोई फार्म नहीं है।
- जानकारी मॉगने के लिए आवेदन में किसी कारण या व्यक्तिगत विवरण देने की आवश्यकता नहीं है। केवल सम्पर्क का पता देना ही आवश्यक है।
- यदि निर्धारित समय में जानकारी न मिले तो प्रथम अपील विभाग को करें और दूसरी अपील सूचना आयोग को करें। केन्द्रीय सूचना आयोग का पता– अगस्त क्रांति भवन, बीकाजी कामा प्लैस, नई दिल्ली– 110066, फोन– 26161137, 61117666

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :–

सतर्क नागरिक संगठन

बी–76 (गराज), एस.एफ.एस. फ्लैटस्, शेख सराय–1, नई दिल्ली– 110017, फोन : 9811420296

जानकारी मांगने के लिए इस तरह आवेदन तैयार कर सकते हैं।

सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत आवेदन

जन सूचना अधिकारी
विभाग का नाम –

आवेदक का नाम –
आवेदक का पता –

सूचना का विवरण–

प्रश्न 1.

प्रश्न 2.

प्रश्न 3.

प्रश्न 4

प्रश्न 5.

आवेदक का हस्ताक्षर– **दिनांक–**

नोट– **आवेदन की फीस 10 रु नकद, पोस्टल ऑडर, डीमांड ड्राफ्ट या बैंन्कर्स चैक द्वारा जमा की जा सकती है।** यदि आप **गरीबी रेखा** से नीचे रहतें हैं तो **कोई फीस नहीं** लगेगी – अपने पीले या लाल राश्न कार्ड की कॉपी **आवेदन क साथ लगॉए।**